न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 50/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जगाराम पुत्र श्री बक्साराम 2. हरिराम पुत्र श्री बक्साराम 3. आसाराम पुत्र श्री बक्साराम 4. तुलछा देवी पत्नी नृसिंहराम 5. मनीषा पुत्री नृसिंहराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती तुलछा देवी पत्नी श्री नृसिंह 6. कोची देवी पुत्री श्री बक्साराम 7. सीतादेवी पुत्री श्री बक्साराम 8. भिदा देवी पुत्री श्री बक्साराम 9. केसू देवी पत्नी श्री बक्साराम जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।		1 भेरूराम पुत्र श्री पदमाराम, जाति जाट, निवासी–ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर **प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट:–** 2 श्रवणसिंह पुत्र श्री भीकाराम 3 परसाराम पुत्र श्री गिरधारीराम 4 मोडाराम पुत्र श्री गिरधारीराम 5 बद्रीराम पुत्र श्री गिरधारीराम 6 रामनिवास पुत्र श्री गिरधारीराम 7 सुखाराम पुत्र श्री गिरधारीराम 8 मंगलाराम पुत्र श्री पूनाराम 9 मंछाराम पुत्र श्री केसाराम 10 रामप्रकाश पुत्र श्री हरदीनराम 11 श्रवणराम पुत्र श्री हरदीनराम 12 बलदेवराम पुत्र श्री हरदीनराम 13 साबूदेवी पुत्री श्री हरदीनराम 14 घेवरी पत्नी श्री हरदीनराम 15 हरसुखराम पुत्र श्री जोधाराम 16 मूलाराम पुत्र श्री जोधाराम 17 सुरजाराम पुत्र श्री जोधाराम 18 सीताराम पुत्र श्री जोधाराम 19 मंछाराम पुत्र श्री राणाराम 20 कैलाशराम पुत्र श्री राणाराम 21 रामनिवास पुत्र श्री राणाराम 22 ओमाराम पुत्र श्री राणाराम 23 कोजाराम पुत्र श्री राणाराम 24 सिणगारी पत्नी श्री राणाराम जातियान जाट, निवासीगण – ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 25. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2021, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ, जिला जोधपुर, राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 65/2020 बअनवान भेरूराम बनाम बक्साराम के का0मु0 वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1– श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता, अपीलान्टस की ओर से।
2–श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3–श्री नवल सिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 25 की ओर से ।
3– शेष रेस्पाडेन्टस अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 31 जुलाई 2023

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी भोपालगढ, जिला जोधपुर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या 360 जिसके खसरा सं0 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वां किस्म बारानी प्रथम , खसरा सं0 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वां, किस्म बारानी प्रथम, प्रार्थी की आयी है, सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा सं0 668 व 669 कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा आयी हुयी है। खसरा संख्या 669 के दक्षिण में गै0मु0रास्ता, पूर्व दिशा में खसरा सं0 670, उत्तर दिशा में खसरा सं0 665 व खसरा सं0 668 के दक्षिण में गै0 मु0 रास्ता उत्तर दिशा में खसरा स0 668, पश्चिम दिशा में खसरा सं 657 आये हुए है। प्रार्थी की भूमि खेत खसरा सं0 669 के पूर्वी माठ पर आये दिन अप्रार्थी सं0 1 पूर्वी माठ को खुर्द–बुर्द कर रहे है। खसरा सं 668 के पश्चिमी माठ को अप्रार्थी सं 10 से 24 आये दिन खुर्द–बूर्द करके अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थी की भूमि खाता सं 360 जिसके खसरा सं0 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वां, खसरा सं0 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वां भूमि का नापं–चौक कर सीमांकन कर पत्थर गढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मंगेरिया के खसरा संख्या 668 व 669 का नाप –चौक कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें। प्राथीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद शीर्षक में अप्रार्थी सं0 19 झमकू पत्नी जोधाराम के फौत होने से एवं झमकू के कायम मुकाम पूर्व में ही पक्षकार होने से अप्रार्थी सं. 19 झमकू का नाम विलोपित करने का पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार झमकू का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया, अप्रार्थी सं 01 से 24 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात् प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2021 को उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्टस को उक्त निर्णय की जानकारी हाल ही में राजस्व कर्मचारियों की टीम को लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक मौके पर आये और अपीलान्टस की भूमि की पैमाइश करने लगे तब पूछताढ की तो बताया कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय से पत्थरगढी का निर्णय पारित करवा लिया है और नाप कर पक्के मुटाम लगा दिये जायेगें तब उनके द्वारा दिनांक 19.1.2022 को जारी नोटिस की प्रति दी, तब अपीलान्टस द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 4.2. 2022 को प्रमाणित प्राप्त की तब जानकारी हुई है। अतः उक्त दिनांक से अपील प्रस्तुत करने बाबत अपील को म्याद की अवधि में मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरित है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलर्थीगण को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो अपने स्तर पर भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी और न ही तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी। वास्तव में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सं0 01 के मध्य भूमि के सीमाओं को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा, फिर भी रेस्पोडेन्ट सं 01 के द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि बदनियती के वलते उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि यदि अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है तथा अप्रार्थीगण का जवाब बंद कर दिया गया है तो वह हल्का पटवारी से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 01 तथा अपीलांट की भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करते ताकि वस्तस्थिति न्यायालय के समक्ष आ जाती और तत्पश्चात प्रकरण

का मेरिट पर निस्तारण किया जाता किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 01 के द्वारा अपने स्तर पर तैयार करवाये गये दस्तावेजो को आधार मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि तत्समय में खेतों में रबी की फसल खडी है, उक्त परिस्थिति के चलते यदि पत्थरगढी की जाती है और भूमि की पैमाइश हेतु व्यक्तियों का झूण्ड भूमि में प्रवेश करता है तो खडी फसल को भारी नुकसान होने से इंकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में पत्थरगढी नहीं की जा सकती थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील को म्याद की अंवधि में पेश होना मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ, जिला जोधपुर के यहां प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि राजस्व ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या 360 जिसके खसरा सं0 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वां किस्म बारानी प्रथम , खसरा सं0 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वां, किस्म बारानी प्रथम, प्रार्थी की आयी है, सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा सं0 668 व 669 कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा आयी हुयी है। खसरा संख्या 669 के दक्षिण में गै0मु0रास्ता, पूर्व दिशा में खसरा सं0 670, उत्तर दिशा में खसरा सं0 665 व खसरा सं0 668 के दक्षिण में गै0 मु0 रास्ता उत्तर दिशा में खसरा सं0 668, पश्चिम दिशा में खसरा सं 657 आये हुए है। प्रार्थी की भूमि खेत खसरा सं0 669 के पूर्वी माठ पर आये दिन अप्रार्थी सं0 1 पूर्वी माठ को खुर्द–बुर्द कर रहे है। खसरा सं 668 के पश्चिमी माठ को अप्रार्थी सं 10 से 24 आये दिन खुर्द–बूर्द करके अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खाता सं 360 जिसके खसरा सं0 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वां, खसरा सं0 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वां भूमि का नापं–चौक कर सीमांकन कर पत्थर गढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मंगेरिया के खसरा संख्या 668 व 669 का नाप –चौक कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेसपोडेन्टस/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। वर्तमान अपीलान्टस एवं अप्रार्थी सं 01 से 24 बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। ऐसे में अपीलान्ट यह नहीं कह सकते कि उन्हें प्रकरण में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या एक/प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरानत रेसपो0 संख्या एक/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2021 को उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए ग्राम मंगेरिया के ख0सं0 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, ख0सं 669 रकबा 05 बीघा 9 बिस्वा भूमि का सीमाकंन व पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये है जो विधि अनुकूल एवं उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेसपोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर सेढे व माढ वर्तमान में मौजूद है तथा दोनों पक्षों के द्वारा अलग–अलग कब्जा काश्त किया जा रहा है उनके द्वारा किसी प्रकार से अपीलान्टस की भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है और न ही कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है। अपीलान्टस द्वारा अपील में झूठे तथ्य अंकित करते हुए अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील भी म्याद बाहर पेश की गई है जो अस्वीकार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

आदेश की पालना में तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा दिनांक 8.2.2023 को सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करवाई जाकर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जा चुकी है जिसकी प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, ऐसे में अपीलान्टस की यह अपील सारहीन व प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलान्टस) के सम्मन की तामीली होने के पश्चात एकतरफा कार्यवाही किया जाना आदेशिका में उल्लेखित किया है। सीमांकन/पत्थरगढी सम्बन्धी मौका रिपोर्ट दिनांक 8.2.2023 अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को सूचित करते हुए खसरेवार सीमाकंन/ पत्थरगढी का कार्य राजस्व टीम द्वारा किया गया। चूंकि राजस्व टीम द्वारा मुस्तकिल बिन्दुओं से सीमाकंन/पत्थरगढी सम्बन्धी किया जाना पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से परिलक्षित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2021 में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर